निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 पौष 1945 (श0)

संख्या 03 पटना, बुधवार,

17 जनवरी 2024 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-33
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद मे उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	34-85
पूरक	---
पूरक-क	86-92

मठ / मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य "पशु की क्रुरता या वध" होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

18. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:–

प्रो० सूर्यदेव त्यागी(पुर्व विधान सभा सदस्य) – संरक्षक

1. अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर, जिला– पटना – अध्यक्ष
2. श्रीविद्याधर विनोद, मनेर, पटना –उपाध्यक्ष
3. श्री संजय कुमार सिंह, मनेर, पटना –सचिव
4. श्री उदय कुमार मेहता, मनेर, पटना –कोषाध्यक्ष
5. श्री अमोल बजाज, मनेर, पटना – सदस्य
6. श्री गोपाल सिंह, मनेर, पटना – सदस्य
7. श्री नागेन्द्र कुमार मेहता, मनेर, पटना – सदस्य
8. थानाध्यक्ष, मनेर, पटना – सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में "श्री महादेव स्थान, मोहल्ला+पोस्ट+थाना– मनेर, जिला– पटना" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः– न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैन / विक्रय / पट्टा / लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

अधिसूचना
10 जून 2023

सं0 सं0को0–02 / 30 / 19–237—बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 2019 के अध्याय (vi) की धारा 33 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एतद् द्वारा प्रशासी विभाग के सम्पुष्टीकरण के अधीन रहते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, सम्बद्धता, मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 का संशोधन प्रशासी विभाग के पत्रांक–12 / सम्बद्ध 12–02 / 2022–211, दिनांक 15.05.2023 के द्वारा प्राप्त हो चुका है। संशोधित विनियमसवली, 2023 का हिन्दी एवं अंग्रेजी वर्जन सर्वसाधारण को सूचित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है:–

आदेश से,
(ह0 अस्पष्ट), सचिव।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, सम्बद्धता, मानदण्ड तथा प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमावली 2023

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 2019 के अध्याय (vi) की धारा 33 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एतद् द्वारा प्रशासी विभाग के सम्पुष्टीकरण के अधीन रहते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, सम्बद्धता, मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नांकित विनियमावली बनाती है:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ–

(i) यह विनियमावली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, सम्बद्धता, मानदण्ड तथा प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमावली 2023 कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–3 का उपविनियम (iv) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम– 3 का उपविनियम (iv) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से डी0एल0एड0 कोर्स में नामांकन हेतु अतिरिक्त प्रवेश क्षमता संबंधी मान्यता प्राप्त होने के पूर्व अतिरिक्त प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु समिति से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त होने के उपरांत अतिरिक्त प्रवेश क्षमता की समिति से सम्बद्धता प्राप्त करना। अतिरिक्त प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जो नव सम्बद्धता हेतु अपनायी जाती है।

3. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–5 का उपविनियम– (क) (i) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–5 का उपविनियम– (क) (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(क) (i) विनियम–4 के अधीन पात्र ऐसे संस्थान, जो अध्यापक शिक्षक कार्यक्रम के तहत् डी0एल0एड0 कोर्स चलाने अथवा अतिरिक्त सीट वृद्धि के लिए इच्छुक है और इस हेतु उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता हेतु आवेदन करना है, प्रोसेसिंग फीस और निर्धारित दस्तावेजों सहित समिति को आवेदन करेंगे।

4. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–5 का उपविनियम–(क) (ii) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–5 का उपविनियम–(क) (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(क) (ii) आवेदन में पूर्व से संचालित (यदि हो तो) कार्यक्रम/कोर्स का विवरण अन्यथा आवेदन के साथ D.El.Ed. कोर्स के अतिरिक्त किसी अन्य कोर्स हेतु मान्यता लेने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार को समर्पित आवेदन की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति, भूमि एवं भवन से संबंधित अभिलेख/प्रमाण–पत्र जिससे यह सिद्ध हो सके कि भूमि का स्वामित्व संबंधित संस्था के पास है अथवा सरकार या सरकारी संस्थानों से कम से कम 30 वर्षों के निबंधित पट्टे (लीज) पर संस्था को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु भूमि प्राप्त है तथा भूमि का शैक्षणिक उपयोग करने की अनुमति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। सक्षम प्राधिकार से संस्था के भवन का स्वीकृत नक्शा एवं प्राक्कलन आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। किसी भी स्थिति में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए कोई भी भवन पट्टे पर नहीं लिया जाएगा।

5. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–5 के उपविनियम–(क) (v) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–5 का उपविनियम–(क) (v) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(क) (v) आवेदन–पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता हेतु आवेदन करने की निर्धारित समयावधि के अंदर (जिस शैक्षणिक सत्र के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त की जानी है, उसके पूर्ववर्ती सत्र के 31 जनवरी तक) एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को मान्यता हेतु आवेदन करने के पूर्व किया जायेगा।

6. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–5 का उपविनियम–(ख) (i) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–5 का उपविनियम–(ख) (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) (i) वैसे संस्थान जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (डी0एल0एड0 कोर्स) संचालन/अतिरिक्त सीट वृद्धि हेतु मान्यता प्राप्त हो गई है, समिति से नव सम्बद्धता/अतिरिक्त सीट वृद्धि हेतु सम्बद्धता के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन (दो प्रतियों में सभी वांछित अभिलेखों एवं सूचीक्रम/पृष्ठ संख्या के साथ स्पाईरल बाईडिंग कराकर) समिति को समर्पित करेंगे।

7. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–5 का उपविनियम–(ख) (iii) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–5 का उपविनियम–(ख) (iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) (iii) अपेक्षित दस्तावेजों में निम्नांकित दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संलग्न किये जाएँगे–

(क) निर्धारित कार्य दिवस अनुपालन प्रमाण–पत्र।

(ख) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण अनुपालन प्रमाण–पत्र।

(ग) नामांकन शुल्क एवं अन्य शुल्क अनुपालन प्रमाण–पत्र।

(घ) पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम अनुपालन प्रमाण–पत्र।

(ड़) स्टाफ नियोजन, वेतन भुगतान एवं उपस्थिति प्रमाण–पत्र।

(च) संस्था में कार्यरत/चयनित सभी संकाय सदस्यों की समिति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित समेकित सूची।

(छ) स्टाफ एवं संकाय सदस्यों के चयन में आरक्षण अनुपालन प्रमाण–पत्र।

(ज) भू–स्वामित्व संबंधी अभिलेख+अद्यतन लगान रसीद।

(झ) सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमि के शैक्षणिक उपयोग करने हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र।

(ञ) स्टाफ एवं संकाय सदस्यों का आधार।

(ट) Building Completion Certificate (मूल में), भवन का अद्यतन फोटो, जिससे भवन की बाहरी बनावट स्पष्ट हो सकें।

(ठ) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जिससे सिद्ध हो सके कि संस्था का भवन उसी भूमि पर निर्मित है, जिस भूमि के आधार पर संस्था को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है।

8. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–6 का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(6). आदेशिका फीस –बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आदेशिका फीस के रूप में निम्नवत् राशि ली जाएगी :–

(i) अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–संस्थान द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आवेदन पत्र के साथ 15000/– (पन्द्रह हजार) रू0 ऑनलाईन सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदनाम से जमा किया जाएगा, जो अप्रतिदेय (Non- refundable) होगी।

(ii) संबद्धता शुल्क :–संस्थान द्वारा संबद्धता हेतु आवेदन करते समय आवेदन–पत्र के साथ संबद्धता संबंधी आवेदन के प्रोसेसिंग फीस के रूप में 35,000/– (पैंतीस हजार) रू0 ऑनलाईन एवं संबद्धता शुल्क के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से प्राप्त मान्यता के अनुसार प्रति इकाई 1,00,000/– (एक लाख) रू0 ऑनलाईन सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदनाम से जमा करना होगा, दोनों फीस की राशि अप्रतिदेय (Non -refundable) होगी।

9. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–7 का उपविनियम–(ख) (ii) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–7 का उपविनियम–(ख) (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) (ii) त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को सुधारने का एक मौका संबंधित संस्थान को दिया जाएगा एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संस्थान को सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर सुधरा हुआ आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जमा करने की जवाबदेही संस्थान की होगी। विलम्ब होने पर समिति को सम्बद्धता/सत्र के संबंध में अंतिम निर्णय करने का अधिकार होगा।

10. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–7 का उपविनियम–(ख) (iv) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–7 का उपविनियम–(ख) (iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) (iv) आवेदन पत्र हर तरह से सही पाये जाने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा विशेषज्ञों की चार सदस्यीय एक टीम गठित कर संस्थान की स्थलीय जाँच करायी जायेगी। विशेषज्ञों के दल द्वारा जाँच के क्रम में जाँच की विडियो रिकॉर्डिंग कराई जायेगी, जिसकी व्यवस्था जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को समिति द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क से 2500 (दो हजार पाँच सौ) रू0 उपलब्ध कराया जायेगा। इस विडियो रिकॉर्डिंग की सी0डी0 एवं पेन– ड्राइव पर संस्थान के प्राचार्य/सचिव के हस्ताक्षर सहित जांच दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में जाँच दल के सदस्यों के साथ संस्थान के सभी भौतिक संरचना, वर्ग कक्ष, खेल–कूद का मैदान, प्रायोगिक/कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय का समावेश अनिवार्य रूप से होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग कम से कम 20 मिनट की और अविछिन्न होनी चाहिए।

11. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–7 का उपविनियम–(ख) (vi) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–7 का उपविनियम–(ख) (vi) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) (vi) जाँच दल के संयोजक एवं सदस्यों को मानदेय के रूप में दो हजार पाँच सौ रू0 देय होगा। इसके अतिरिक्त वाहन या नियमानुसार यात्रा–भत्ता भी देय होगा। जाँच समिति निश्चित रूप से 15 दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगी।

12. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–7 का उपविनियम–(ख) (viii) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–7 का उपविनियम–(ख) (viii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) (viii) प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने से संबंधित स्क्रीनिंग समिति से अनुशंसा प्राप्त की जायेगी।

13. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–7 का उपविनियम–(ख) (ix) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–7 का उपविनियम–(ख) (ix) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) (ix) **स्क्रीनिंग समिति**:– गैर–सरकारी संगठन द्वारा स्थापित प्रशिक्षण महाविद्यालय को सम्बद्धता देने अथवा वापस लेने के लिए अनुशंसा करने हेतु एक स्क्रीनिंग समिति निम्नलिखित रीति से गठित की जायेगी:–

1. शैक्षणिक निदेशक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति – संयोजक
2. परीक्षा नियंत्रक (विविध) – सदस्य
3. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार से मनोनित मुख्यालय में पदस्थापित दो पदाधिकारी सदस्य
4. निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी – सदस्य

5. उप सचिव / सहायक सचिव (शिक्षक प्रशिक्षण सम्बद्धता), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सदस्य सचिव

14. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–7 का उपविनियम–(ख) (xi) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–7 का उपविनियम–(ख) (xi) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) (xi) वैसे संस्थान, जिसकी जांच में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाएगी, उन्हें त्रुटि सुधार हेतु संसूचित किया जाएगा और त्रुटि सुधारने का एक मौका संस्थान को अवश्य दिया जाएगा। संस्थानों द्वारा जब त्रुटियों को सुधार कर पुनः आवेदन दिया जायेगा तब इसकी संपुष्टि समिति द्वारा करायी जाएगी तथा इसके लिए संस्थान को पुनः प्रोसेसिंग फीस जमा करना होगा।

15. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–9 का उपविनियम– (iii) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–9 का उपविनियम–(iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iii) **दाखिला क्षमता** :– बुनियादी यूनिट 50 विद्यार्थियों का होगा। प्रारम्भ में दो बुनियादी यूनिटों की अनुमति है, लेकिन संस्थानों को, अन्य अपेक्षाएँ / मानक पूरा करने पर, अधिकतम चार यूनिट रखने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु सरकारी संस्थानों के लिए, उक्त बंधेज बाध्यकारी नहीं होगा।

16. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 का उपविनियम– (i) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 के उपविनियम–(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(i) **स्टाफ और शैक्षणिक निकाय** :– 50–50 विद्यार्थियों के दो बुनियादी युनिटों तक की भर्त्ती के लिए संकाय सदस्यों की न्युनतम संख्या 16 होगी। प्रिंसिपल अथवा विभागाध्यक्ष को संकाय में शामिल किया जाता है। विषय क्षेत्रों में संकाय का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है:–

1. प्रिंसिपल / विभागाध्यक्ष	– एक
2. शिक्षा में परिप्रेक्ष्य / शिक्षा के आधार	– तीन
3. विज्ञान	– दो
4. मानविकी और समाज विज्ञान	– दो
5. गणित	– दो
6. भाषाएँ	– तीन
7. ललित कलाएँ / निष्पादक कलाएँ	– दो
8. स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	– एक

नोट:– राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों को अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने पर राज्य सरकार द्वारा सरकारी संस्थान के लिए समय–समय स्वीकृत शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की संख्या को ही मानक मानते हुए संबद्धता दी जाएगी।

टिप्पणियां :–

(1) यदि विद्यार्थियों की संख्या दो वर्षों के लिए केवल एक सौ हो अर्थात सम्बद्धता मात्र एक बेसिक यूनिट हेतु प्रदत्त हो तो संकाय के सदस्यों की संख्या को घटा कर 08 कर दिया जाएगा। विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों से और कुछ शिक्षणशास्त्रीय पाठ्यक्रमों में संकाय का बंटवारा अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ किया जा सकता है।

(क) नव सम्बद्धता हेतु आवेदन देने वाले संस्थान, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्गत आशय–पत्र (Letter of Intent) के आलोक में निदेशक (शैक्षणिक) द्वारा मनोनित प्रतिनिधि की उपस्थिति में संकाय सदस्यों का चयन कर उनकी सूची NCTE द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में प्रतिहस्ताक्षरण हेतु समिति को उपलब्ध करायेंगे।

(ख) सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों को शैक्षणिक सत्र के मध्यावधि में संकाय सदस्यों की हुई रिक्ति के विरूद्ध चयन हेतु नामवार / विषयवार रिक्त एवं कार्यरत संकाय सदस्यों की समेकित सूची ERC, NCTE को प्रेषित कर उसे अपने वेबसाईट पर प्रदर्शित करते हुए समिति को अपना प्रतिनिधि सदस्य मनोनीत करने के अनुरोध के साथ आवेदन देना होगा। तत्पश्चात् समीक्षोपरांत रिक्त संकाय सदस्यों के चयन में सहयोग प्रदान करने हेतु निदेशक (शैक्षणिक) द्वारा प्रतिनिधि सदस्य नामित किया जायेगा। समिति के मनोनित सदस्य को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए संस्था 2500 (दो हजार पाँच सौ) रू0 प्रतिदिन की दर से मानदेय प्रदान करेगी।

(ग) संकाय सदस्यों के चयनोपरांत संस्था, कार्यरत एवं नव चयनित संकाय सदस्यों की समेकित सूची (तीन प्रति) विहित प्रपत्र में, चयन का कार्यवाही प्रतिवेदन, संकाय सदस्यों के शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति, उनका नियुक्ति एवं योगदान पत्र तथा कहीं अन्यत्र नियुक्त नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र आदि के साथ प्रतिहस्ताक्षरण हेतु प्रेषित करेगी।

(घ) संस्था द्वारा प्रेषित संकाय सदस्यों की सूची पर निदेशक (शैक्षणिक) के अनुमोदनोपरांत उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरण किया जायेगा तथा प्रतिहस्ताक्षरण सूची की एक प्रति क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को प्रेषित की जायेगी।

17. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 का उपविनियम– (vi) (क) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 का उपविनियम–(vi) (क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(vi) (क)

पाठ्यक्रम	निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
डी0एल0एड0 और उसके साथ बी0एड0 या बी0एस0सी0 या बी0ए0 या एम0ए0 या एम0एस0सी0	3000	3000

टिप्पणी :–

(i) डी0एल0एड0 के एक यूनिट की अतिरिक्त भर्ती के लिए 500 वर्ग मीटर (पाँच सौ वर्ग मीटर) के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

(ii) जब कभी अध्यापक शिक्षा नियमावली/विनियमावली में किसी कार्यक्रम के मानदण्डों तथा मानकों में कोई बदलाव किया जाएगा तो वैसी स्थिति में संस्थानों को प्रभावी तिथि से संशोधित मानदण्डों एवं मानकों में निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करना होगा। उक्त स्थिति में भू–क्षेत्र संबंधी संशोधित मानदण्ड मौजूदा संस्थानों पर लागू नहीं होगें, लेकिन मौजूदा संस्थानों को संशोधित मानदण्ड का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित निर्मित क्षेत्र को बढ़ाना होगा एवं संस्थान जिनके पास संशोधित मानदण्डों के अनुरूप भू–क्षेत्र नहीं होगा या निर्मित क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकेंगे, उन्हें अतिरिक्त कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त दाखिले की अनुमति/सम्बद्धता नहीं दी जा सकेगी।

18. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 का उपविनियम– (vi) (ख) (ii)का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 का उपविनियम–(vi)(ख)(ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(vi)(ख)(ii) कुल 2000 वर्गफीट के क्षेत्रवाला एक बहुप्रयोजनी हॉल, जिसमें एक मंच के साथ 200 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता हो।

19. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 के उपविनियम (vi) (ख) (xi) (xviii) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 का उपविनियम–(vi)(ख)(xi) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(vi) (ख) (xi) स्टोर के दो कमरे

(2) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 का उपविनियम (vi) (ख) (xviii) विलोपित।

20. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 का उपविनियम (vii) (क) (iii) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 का उपविनियम–(vii)(क)(iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(vii)(क)(iii) श्रव्य–दृश्य उपस्कर– टी०वी०, एल0ई0डी0 प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर स्क्रीन

21. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 का उपविनियम (vii) (क) (iv) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 का उपविनियम–(vii)(क)(iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(vii)(क)(iv) श्रव्य–दृश्य उपकरण– पेन ड्राइव में शैक्षिक–प्रशिक्षण से संबंधी फिल्में

22. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 का उपविनियम (vii) (घ) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–10 का उपविनियम–(vii)(घ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(vii) (घ) श्रव्य–दृश्य उपस्कर– प्रोजेक्शन और डूप्लीकेशन के लिए हार्डवेयर और शैक्षिक सॉफ्टवेयर सुविधाएँ, जिनमें टी०वी०, एल०ई०डी०, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, फिल्में, चार्ट, चित्र एवं Powerpoint Presentation शामिल है। वाई–फाई/इंटरनेट की सुविधा वांछनीय होगी।

23. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–13 का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–13 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(13). **शैक्षणिक कैलेंडर** :– प्रशिक्षण अवधि दो वर्षों की होगी। दो वर्षों की प्रशिक्षण अवधि में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रतिवर्ष परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। दूसरे वर्ष की परीक्षा के पश्चात् प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा। संस्थानों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को ससमय बेहतर रूप से पूरा किया जा सके एवं समय पर परीक्षाओं का आयोजन हो इस हेतु समिति द्वारा राज्य शिक्षा–शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से अकादमिक कैलेंडर भी जारी करेगा, जिसका अनुपालन अनिवार्य होगा।

24. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–14 का उपविनियम (3) का संशोधन–

(1) उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम–14 का उपविनियम (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(3). किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा उक्त कंडिका–2 में वर्णित शर्त्तों का अनुपालन नहीं करने अथवा विनियमावली के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने की स्थिति में, संस्था से कारण–पृच्छा की मांग की जायेगी। संबंधित संस्था द्वारा एक माह के अंदर कारण–पृच्छा अनिवार्य रूप से देना होगा। संस्था के कारण–पृच्छा पर सम्यक् विचारोपरांत संस्था को पायी गयी त्रुटियों को दूर करने हेतु अधिकतम एक वर्ष का अवसर प्रदान किया जा सकेगा। समिति के नोटिस का प्रत्युत्तर एक माह के अंदर नहीं देने अथवा पायी गयी त्रुटियों को निर्धारित अवधि में दूर करने में असफल रहने पर स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा पर समिति, संस्था को असम्बद्ध घोषित कर सकेगी। समिति का ऐसा निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आदेश से,
(ह0 अस्पष्ट), सचिव।

Bihar School Examination Board, Patna

Bihar School Examination Board (Teacher Education issuance of no-objection certificate, affiliation norms and procedure) (Amendment) Regulation 2023

In exercise of the powers conferred under section - 33 of the Chapter (vi) of Bihar School Examination Board Act 2019, the Bihar School Examination Board, Patna hereby make the following regulations to amend the Bihar School Examination Board (Teacher Education issuance of no-objection certificate, affiliation norms and procedure) Regulation, 2016 under the approval of the Education Department.

1. Short title, extent and commencement-

(i) These regulations shall be called Bihar School Examination Board (Teacher Education issuance of no-objection certificate, affiliation norms and procedure) (Amendment) Regulation, 2023.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) These regulation shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Amendment in sub-regulation-(iv) of Regulation-3 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation (iv) of Regulation-3 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(iv) Prior to taking recognition from National Council of Teachers Education for additional intake in D. El. Ed. course, it is mandatory to an institution to obtain No-Objection Certificate from the Board and after receipt of recognition the institution will proceed for affiliation for additional intake from the Board. Procedure and norms for affiliation for Additional intake will be the same as followed for new affiliation.

3. Amendment in sub-regulation-(A)(i) of Regulation-5 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation (A) (i) of Regulation-5 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(A)(i) Procedure and time frame for preparation of application form :-

(i) Application for No Objection Certificate- An institution eligible under Regulation 4 desirous of running teachers Education programme D. El. Ed. Course or desirous for additional intake and for the said purpose it has to apply for grant of recognition before National Teachers Education Council, will apply to the Board along with the processing fees and prescribed documents.

4. Amendment in sub-regulation-(A)(ii) of Regulation-5 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation (A) (ii) of Regulation-5 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(A) (ii) The application shall include details of programme /course (if any) being conducted from before or application which includes self-attested photo copy of application for recognition of courses other than D. El. Ed Course, submitted before National Council for Teachers Education/ University/ State Govt., Deed Document / Details of Land, Building

establishing that the concerned institution has the Title and ownership of the land or details of lease deed of land of minium period of 30 years executed in favor of the concerned institution by the State Govt. or Government Institutions for running Teachers Training Institution and certificate/permission from the competent authority for utilizing the land for educational purposes only. The application shall also include estimate and sanctioned plan of the building of the institution, duly approved by the competent authority.

In no case any building shall be taken on lease for conducting of Teacher Training Programme.

5. Amendment in sub-regulation-(A)(v) of Regulation-5 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation (A) (v) of Regulation-5 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(A) (v) Application shall be given within the time frame prescribed for grant of recognition by the National Council of Teachers Education (i.e. the academic session for which recognition is to be obtained from the National Council of Teacher Education, its preceding session up to 31st of January) and also before submission of application to the National Council of Teachers Education.

6. Amendment in sub-regulation-(B)(i) of Regulation-5 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation (B)(i) of Regulation-5 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(B)(i) Application for affiliation :- Institutions which have been granted recognition for offering teacher education programme (D.EL.Ed. Course)/ additional intake by National Council of Teachers Education shall submit an application for new affiliation / affiliation for additional intake in a prescribed format (in two copies in spiral binding along with all required papers and sl. No. / page no.) to the Board.

7. Amendment in sub-regulation-(B)(iii) of Regulation-5 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation (B)(iii) of Regulation-5 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(B)(iii) The requisite documents will necessarily include the following documents to be enclosed with the prescribed application:

(A) Certificate stating following of prescribed working days.

(B) Certificate stating following of reservation policy in admission as prescribed by the State Govt.

(C) Certificate stating following of prescribed admission fees and other fees.

(D) Certificate stating following of curriculum and courses

(E) Certificate stating employment of staff, payment of salary and attendance.

(F) Consolidated list of all working/selected faculty members Countersigned by the competent authority of the Board.

(G) Certificate stating following of Reservation Policy in selection of staff and Faculty members.

(H) Deed of Title of Land and up to date Revenue receipt.

(I) Certificate stating the educational use of the land, issued by the competent authority.

(J) Adhar Card of staff and Faculty members.

(K) Building Completion Certificate (in original), recent photos of the building with clear outward construction of the building.

(L) Certificate, issued by the competent authority to establish that the building of institution is built on the same land on the basis of which no objection certificate has been issued to the institution.

8. Amendment in Regulation-6 of the said Regulation, 2016-

(1) Regulation-6 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

6. Processing Fees- The following amount will be charged /taken by Bihar School Examination Board as prescribed fee-

(i) No Objection Certificate- Application for obtaining No Objection Certificate along with a sum of Rs. 15000/- shall be deposited Online by the institution, in favour of the Secretary, Bihar School Examination Board which shall be Non Refundable.

(ii) Affiliation Fees- A institution while applying for affiliation shall have to deposit /pay a sum of Rs. 35,000/- online as processing fees for affiliation and as per the recognition received from National Council of Teachers Education, Rs. 1,00,000/- per unit as affiliation fee will have to be deposited online in the name of Secretary, Bihar School Examination Board. Both the fee amount shall be non refundable.

9. Amendment in sub-regulation-(B)(ii) of Regulation-7 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation (B)(ii) of Regulation-7 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(B)(ii) Application for Affiliation—An opportunity will be given to the concerned institution to rectify the defective application forms and it will be the responsibility of the institution to submit the corrected application to the Bihar School Examination Board within 15 days from the date of receipt of such information from the Bihar School Examination Board. In case of delay the Board shall have the right to take final decision in relation to affiliation/session.

10. Amendment in sub-regulation-(B)(iv) of Regulation-7 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation (B)(iv) of Regulation-7 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(B)(iv) If the application form is found to be appropriate and correct in all respect, an on-site inspection of the institution will be conducted by a four member team of experts, constituted by the Bihar School Examination Board and during inspection by the team of experts, video recording will be done which would be arranged by the concerned District Education Officer for which the District Education Officer shall be paid a sum of Rs. 2500/-, from the processing fee. There shall be signature of the Principal/Secretary of the Institution along with signature of all the members of inspection team on the C.D and Pen Drive of the Video Recording. The video recording shall compulsorily include all team members of Inspecting team, all Physical structures of the institution, Class Rooms, Play Grounds, Laboratory/Computer Room, Library etc. Video Recording should be of at least 20 minutes long and unbroken.

11. Amendment in sub-regulation-(B)(vi) of Regulation-7 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation (B)(vi) of Regulation-7 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(B)(vi) **Twenty Five Hundred Rupees** as Honorarium will be admissible to the co-ordinator and members of the inspection team. In addition to that conveyance or Travelling allowance will also be admissible as per rule. The inspection team will positively submit inspection report within 15 days.

12. Amendment in sub-regulation-(B)(viii) of Regulation-7 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation (B)(viii) of Regulation-7 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(B)(viii) On the basis of the inspection report received, recommendation on the point of giving affiliation will be obtained by the Bihar School Examination Board from the Screening Committee.

13. Amendment in sub-regulation-(B)(ix) of Regulation-7 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation (B)(ix) of Regulation-7 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(B)(ix) **Screening Committee-** A Screening Committee will be constituted in the following manner to make recommendations for granting or withdrawing affiliation to the training college, established by Non Govt. Organizations.

1. Academic Director, Bihar School Examination Board - **Co-ordinator**
2. Examination Controller (Vividh) - **Member**
3. Two official from Headquarter, Education department, Govt. Bihar nominated by the Competent Authority - **Member**
4. An Official nominated by the Director, Research and Training - **Member**
5. Deputy Secretary/ Assistant Secretary (Teachers Training and Affiliation), Bihar School Examination Board Member – **Member Secretary**

14. Amendment in sub-regulation-(B)(xi) of Regulation-7 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation (B)(xi) of Regulation-7 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(B)(xi) Such Institutions in whose inquiry any kind of defect is found, they will be communicated for rectification of such defect and an opportunity will necessarily be given to concerned institution to rectify the defect. When the institution will re-apply after rectifying the defect, then it's ratification will be done by the Board and for this the concerned institution will have to again deposit processing fees is Rs. 35000/-.

15. Amendment in sub-regulation-(iii) of Regulation-9 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation-(iii) of Regulation-9 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(iii) **Admission Capacity-** The basic unit will be of 50 students. Initially two basic units are permissible but the institutions will be allowed to have a maximum of four units, on fulfilling other requirements but the above limit will not be binding for Government institutions.

16. Amendment in sub-regulation-(i) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation-(i) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(i). **Academic Structure-**

Staff and Educational Body – For intake of up to two basic units of 50 students each, the minimum faculty strength shall be 16. The principal or Head of the Department is included in the faculty. The classification of faculty into subject areas can be as follows:

1.Principal/H.O.D	One
2 . Perspectives in Education / basis of Education	Three
3 . Science	two
4 . Humanities and Social Science	Two
5 . Mathematics	Two
6 . Languages	Three
6 . Fine Arts/ Performing Arts-	Two
7 . Health and Physical Education	One

Note- The affiliation will be given to the institutions run by the State Govt. on fulfilling other requirements, considering the number of academic and non academic posts approved by the State Govt. from time to time for Govt. institution.

Remarks –

1 . If the strength of student for two years is 100 only ie for one basic unit, then the number of faculty shall be reduced to 08. The faculty in specialized areas and some of the pedagogic courses can be shared with the other teacher's education programmes.

(A) Institutions applying for new affiliation will select the faculty members in the presence of representatives nominated by the Board in the light of the Letter of Intent, issued by the National Council for Teachers Education, New Delhi and make their list available to the Board for Counter signature.

(B)The affiliated institutes for selection of the vacant faculty members, arising out of vacancy in the mid of the academic session are required to make an application to the Board with a request to nominate it's representative after having the consolidated list of vacant and working faculty members name wise / subject wise sent to ERC, NCTE and thereafter on having it displayed on it's website. Pursuant to that after review, a representative member will be nominated by the Director (Academic) to provide support in the selection of vacant Faculty members. The institution will pay an Honorarium @ of Rs. 2500/- per day to the nominated member of the Board to participate in the selection process.

(C) After selection of the faculty members a consolidated list (in triplicate) of all working faculty members of the institution will be sent in the prescribed format along with selection report, self attested Educational Certificates, appointment letter, joining status and an affidavit for non joining of any other institutions for being countersigned.

(D) The list of faculty members sent by the institution will be counter signed by the officer, not below the rank of Deputy Secretary level Officer after its approval by the Director, (academic) and a copy of the countersigned list will be sent to the Regional committee of National Council of Teachers Education.

17. Amendment in sub-regulation-(vi)(A) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation-(vi)(A) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(vi)(A)

Courses	Built up Area (Sq.Mtr.)	Area of Land (Sq.mtr)
D.El.Ed. along with B.Ed. or B.Sc. or B.A. or M.A. or M.Sc.	3000	3000

Note: (1) Constructed area of 500 sq. mtrs. (Five Hundred Square Meter) will be additionally required for taking admission in one additional unit.

(2) whenever any change will be made, in the norms and standard of any programme/rules/regulations in teacher education, the requirement so laid down in the amended norms and standard will have to be complied by the institutions with effect from the date given in such programme/rule/regulations.

In such situation, though the amended land requirement will not be applicable upon the existing institutions, but the existing institutions will have to increase the required built up area, in terms of the amended requirement.

Institutions not possessing landed area, as per the norms so amended or if it does not extend its built up area, in conformity with the requirement of the amended built up area, it will not be allowed for any additional programme or taking additional admission / additional affiliation.

18. Amendment in sub-regulation-(vi)(B) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation-(vi)(B) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(vi)(B) Multipurpose Hall with Total Area of 2000 Sq. Ft. with sitting capacity of two hundred people with a dais.

19. Amendment in sub-regulation-(vi)(B)(xi) and (xviii) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation-(vi)(B)(xi) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(vi)(B)(xi)- Two store room.

(2))(B)(xviii)- Deleted.

20. Amendment in sub-regulation-(vii)(A)(iii) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation-(vii)(A)(iii) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(vii)(A)(iii) **Audio – Visual Equipments -** T.V, L.E.D Projector, Projector Screen.

21. Amendment in sub-regulation-(vii)(A)(iv) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation-(vii)(A)(iv) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(vii)(A)(iv) **Audio – Visual Equipments -** Films relating to education and Training in a Pen Drive.

22. Amendment in sub-regulation-(vii)(D) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation-(vii)(D) of Regulation-10 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(vii)(D) **Audio Visual Equipment-** Hardware for projection and Duplication and educational Software facilities including T.V, L.E.D Projector, Computer, Films, Charts, Pictures and Power Point Presentation. Facility of WI-Fi / Internet would be desirable.

23. Amendment in Regulation-13 of the said Regulation, 2016-

(1) Regulation-13 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(13). **Academic Calendar** - Training Period will be of two years. The examination will be organized every year by the Bihar School Examination Board during the training period of two years. Certificate will be issued after the second year examination. In order to ensure that the courses prescribed by the institutions can be completed within time in a better way and the examinations are conducted on time, the Bihar School Examination Board will issue an Academic Calendar in cooperation with the State Council for Education Research and Training compliance of which will be mandatory.

24. Amendment in sub-regulation-(3) of Regulation-14 of the said Regulation, 2016-

(1) Sub-regulation-(3) of Regulation-14 of the said Regulation, 2016 shall be substituted by the following.

(3). If a D.El.Ed. Institution dosn't follow the condition prescribed in above sub-clause- 2 or dosn't fullfill the standard define in regulation, a show-cause notice served to the institution. The institution must be reply within one month. Board shall provide maximum priod of one year for removal of defects. Failing to submite the reply of the show-cause issued by the board or failing for removal of defects within the prescribed time given by the board, the board may declared the institute de-affiliated in the light of recommendation of screening committee, which will be final and binding.

By Order,

Secretary, Bihar School Examination Board.